सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 30, सोमवार, *शाके* 1945-अगस्त 21, 2023 *Sravana 30, Monday , Saka 1945- August 21, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 08, 2023

संख्या प.4(22)कृषि/ग्रुप-2/2022-ए :-जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.10.2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति नगर के क्षेत्र में से पंचायत समिति, नगर की 21 ग्राम पंचायते क्रमशः सीकरी, उडकीदल्लां, ककराला, नागल, जयश्री, पुनाय, गुलपाडा, डाबक, बेला, झंझार, सिहावली, पालका, रायपुर सुकेती, पडलवास, जलालपुर, खोहरी बास डायना, बासबुर्जा, तेस्की, खेस्ती, बेरू, आलमशाह एवं नवीन घोषित नगरपालिका सीकरी के समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक नई कृषि उपज मण्डी समिति सीकरी के नाम से स्थापित करने के आशय की घोषणा की गई थी।

आगे राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 4(1) एवं 4(2) के तहत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.03.2023 द्वारा अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध मे पंचायत समिति, नगर की 21 ग्राम पंचायते क्रमशः सीकरी, उडकीदल्लां, ककराला, नागल, जयश्री, पुनाय, गुलपाडा, डाबक, बेला, झंझार, सिहावली, पालका, रायपुर सुकेती, पडलवास, जलालपुर, खोहरी बास डायना, बासबुर्जा, तेस्की, खेस्ती, बेरू, आलमशाह एवं नवीन घोषित नगरपालिका सीकरी का समस्त क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति नगर का मण्डी क्षेत्र घोषित किया गया था।

समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.03.2023 के द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग मे उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के लिए अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, सीकरी का कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध में नियमन एवं इस कृषि उपज मण्डी समिति को 'द' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

राज्य सरकार उपरोक्त अधिनियम की धारा 7(1) (ख) के अन्तर्गत पृथक मंडी समिति का गठन करती है और धारा 7 की उपधारा (1) (ख) एवं धारा 7(2)(ब) के अन्तर्गत उक्त मंडी समिति में निम्नांकित सदस्यों का मनोनयन करती हैः-

<u>कृषक वर्गः-</u>

1. श्रीमती राधा पत्नी श्री रामावतार ग्राम सीकरी तह. सीकरी (सामान्य महिला)
2. श्रीमती भौता देवी पत्नी श्री सीताराम ग्राम सीकरी तह. सीकरी (ओ0बी0सी महिला)
3. श्री सामंता पुत्र श्री दयाचदं ग्राम गुलपाडा तह0 सीकरी (अनुसूचित जाति)
4. श्री सतीश दुआ पुत्र श्री हरबंश दुआ ग्राम सीकरी तह0 सीकरी (सामान्य)
5. श्रीमती चन्दा पत्नी श्री राम ग्राम जयश्री तह0 सीकरी (अनुसूचित जनजाति महिला)

6. श्री रूपराम पुत्र श्री गंगाराम ग्राम सीकरी तह0 सीकरी (सामान्य)

दलाल व व्यापारी वर्गः-

1. श्री सत्यप्रकाश पुत्र श्री बद्रीप्रसाद ग्राम सीकरी तह0 सीकरी

ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य

1. श्री हबीब पुत्र श्री सुलेमान ग्राम सीकरी तह0 सीकरी

राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि:-

1. श्री हुकम यादव पुत्र श्री किशोरी लाल ग्राम सीकरी तह0 सीकरी

माननीय विधायक

1.श्री वाजिब अली पुत्र श्री हाजी शेर मोहम्मद विधायक नगर

स्थानीय निकाय प्रतिनिधि

1.स्थानीय निकाय का चुनाव नही होने के कारण रिक्त

उपरोक्त अधिनियम के अभिप्राय के लिए अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत उपरोक्त मंडी क्षेत्र के लिए एक मंडी स्थापित करने की वांछना कृषि उपज मंडी समिति, सीकरी से की जाती है ।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) उस तारीख से प्रभावी होगी जैसा कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंडी यार्ड की घोषणा की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।